# उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1973]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 जनवरी, 1973 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 18 जनवरी, 1973 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को प्रकाशित हुआ।)

## उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

## अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 का संशोधन

(1) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय अर्थात् :—

"(5) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

(2) पार्श्वशीर्षक में शब्द "चार करोड़ रुपये" और शब्द "दस करोड़ रुपये" के बीच में शब्द "तथा" निकाल दिया जाय तथा शब्द "दस करोड़ रुपये की एक और धनराशि" तथा शब्द "का निकाला जाना" के बीच में शब्द "तथा दस करोड़ रुपये की एक और धनराशि" रख दिये जायं।

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1972 का निरसन

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

---

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 144 जनरल (लेग०)—1974—1834+50 S,S, (मे0)

# UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1973

(U. P. Act No. 4 of 1973)

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Akasmikata Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam,* 1973]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act,* 1950. U. P. Act XIX of 1950.

It is hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1973.

Amendment of section 4 of U. P. Act XIX of 1950.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950,—

(i) *After* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(5) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1973, withdraw a further sum of ten crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund";

(ii) In the marginal heading, *after* the words "and another sum of ten crores of rupees", the words "and a further sum of ten crores of rupees" shall be *inserted*.

Repeal of U. P. Ordinance no. 21 of 1972.

3. (i) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times.

---

(*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extra-Ordinary*, dated December 14, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 11, 1973, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 18, 1973.)

(Received the Assent of the Governor on January 22, 1973 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 22, 1973.)

PSUP. A. P. 145 Genl. (Leg.)—1974—1852+50 S.S. (M).